न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 85/2020

1 रामेश्वर पुत्र भूरा उम्र 63 वर्ष जाति यादव निवासी ढ़ाणी बड़ा बंध की तन डोकन तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 शिवनारायण पुत्र धुड़ाराम।
2 बाबूलाल पुत्र धुड़ाराम रेस्पोडेंट संख्या 01 ता 02 समस्त जाति यादव निवासी ढ़ाणी बड़ा बंध की तन डोकन तहसील नीमकाथाना जिला सीकर हाल निवासी ग्राम कुरबड़ा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
3 बलराम पुत्र देवीसहाय।
4 मनोज कुमार पुत्र देवीसहाय रेस्पोडेंट संख्या 03 ता 04 समस्त जाति यादव निवासी ढ़ाणी बड़ा बंध की तन डोकन तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
5 रामोतार पुत्र सुरजाराम जाति यादव निवासी ढ़ाणी बड़ा बंध की तन डोकन तहसील नीमकाथाना जिला सीकर हाल निवासी ग्राम कुरबड़ा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
6 रामनिवास पुत्र ग्यारसा।
7 लालचन्द पुत्र ग्यारसा।
8 सुवालाल पुत्र ग्यारसा।
9 ईमरताराम पुत्र ग्यारसा।
10 ग्यारसी देवी पत्नी ग्यारसा रेस्पोडेंट संख्या 06 ता 10 समस्त जाति यादव निवासी ढ़ाणी बड़ा बंध की तन डोकन तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
11 धोली देवी पत्नी रोशनलाल।
12 निशा पुत्री रोशनलाल।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

13 पुजा पुत्री रोशनलाल।
14 सतवीर पुत्र रोशनलाल रेस्पोडेंट संख्या 12 ता 14 नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमती धोली देवी पत्नी रोशनलाल।
15 श्रीमती फुली देवी पत्नी हनुमान।
16 सुनिता यादव पुत्री हनुमान।
17 सरिता यादव पुत्री हनुमान।
18 कुरड़ाराम पुत्र रिछपाल।
19 गिरधारी पुत्र रिछपाल।
20 बहादुर पुत्र रिछपाल रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 20 समस्त जाति यादव निवासीगण ढ़ाणी बड़ा बंध की तन डोकन तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
21 भूमिधारी जरिये तहसीलदार तहसील कार्यालय नीमकाथाना जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व प्राथमिक डिक्री व निर्णय दिनांक
14.02.2020 अदालत सहायक कलेक्टर नीमकाथाना
बउनवानी शिवनारायण आदि बनाम रामेश्वर आदि
दावा संख्या 371/2017 अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

अपील संख्या 86/2020

1 रामेश्वर पुत्र भूरा उम्र 63 वर्ष जाति यादव निवासी ढ़ाणी बड़ा बंध की तन डोकन तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

अपीलांट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

बनाम

1 शिवनारायण पुत्र धुड़ाराम।
2 बाबूलाल पुत्र धुड़ाराम रेस्पोडेंट संख्या 01 ता 02 समस्त जाति यादव निवासी ढ़ाणी बड़ा बंध की तन डोकन तहसील नीमकाथाना जिला सीकर हाल निवासी ग्राम कुरबड़ा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
3 बलराम पुत्र देवीसहाय।
4 मनोज कुमार पुत्र देवीसहाय रेस्पोडेंट संख्या 03 ता 04 समस्त जाति यादव निवासी ढ़ाणी बड़ा बंध की तन डोकन तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
5 रामोतार पुत्र सुरजाराम जाति यादव निवासी ढ़ाणी बड़ा बंध की तन डोकन तहसील नीमकाथाना जिला सीकर हाल निवासी ग्राम कुरबड़ा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
6 रामनिवास पुत्र ग्यारसा।
7 लालचन्द पुत्र ग्यारसा।
8 सुवालाल पुत्र ग्यारसा।
9 ईमरताराम पुत्र ग्यारसा।
10 ग्यारसी देवी पत्नी ग्यारसा रेस्पोडेंट संख्या 06 ता 10 समस्त जाति यादव निवासी ढ़ाणी बड़ा बंध की तन डोकन तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
11 धोली देवी पत्नी रोशनलाल।
12 निशा पुत्री रोशनलाल।
13 पुजा पुत्री रोशनलाल।
14 सतवीर पुत्र रोशनलाल रेस्पोडेंट संख्या 12 ता 14 नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमती धोली देवी पत्नी रोशनलाल।
15 श्रीमती फुली देवी पत्नी हनुमान।
16 सुनिता यादव पुत्री हनुमान।
17 सरिता यादव पुत्री हनुमान।
18 कुरड़ाराम पुत्र रिछपाल।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

19 गिरधारी पुत्र रिछपाल।
20 बहादुर पुत्र रिछपाल रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 20 समस्त जाति यादव निवासीगण ढ़ाणी बड़ा बंध की तन डोकन तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
21 भूमिधारी जरिये तहसीलदार तहसील कार्यालय नीमकाथाना जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय अंतिम डिक्री दिनांक 07.10.2020
अदालत सहायक कलेक्टर नीमकाथाना बउनवानी
शिवनारायण आदि बनाम रामेश्वर आदि दावा
संख्या 371/2017 अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :

1. श्री महेश कुमार पटेल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विजय सिंह तंवर, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 16.08.2021

यह दोनों अपीले विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर नीमकाथाना द्वारा मुकदमा संख्या 371/2017 में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 14.02.2020 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 07.10.2020 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। दोनों पत्रावलियों में पक्षकार एवं विवादित भूमि एक समान होने से दोनों का का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की पत्रावलियों दोनों पत्रावलियों में पृथक—पृथक रखी जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में रेस्पोडेंट संख्या 1 से 5 में भूमि खसरा नम्बर 1085,1088,1089,1175, 1176,1177,1184,1185,1186,1187,1190,1197,1199,1200,1201,1206,1207,1208 ,1215,1216,1217,1225,1226,1227,1228,1229,1239,1244,1248,1249,1252, 1258,1263,1266,1267,1268,1269,1272,1273,1274,1278,1286,1290,1293, 1294,1296,1298,1342 वाके ग्राम नृसिंहवाला तन डोकन तहसील नीमकाथाना बाबत विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया है। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई दिनांक 14.02.2020 दावा प्राथमिक रूप से डिक्री किया एवं दिनांक 07.10.2020 को अन्तिम रूप से डिक्री कर दिया। इन दोनों निर्णयों के विरूद्व अपीलांट की और से पृथक–पृथक अपीले प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विधि का सुस्थापित सिद्वान्त है कि कोई भी दावा न्यायालय में पेश होने के उपरान्त उक्त दावे का जवाब दावा, विवाधक, साक्ष्य, बहस अन्तिम सुनकर ही निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित की जा सकती है, परन्तु हस्तगत प्रकरण में अदालत मातहत ने उक्त विधिक प्रकिया का कोई पालन नहीं किया है, पत्रावली का अवलोकन करने मात्र से अदालत मातहत द्वारा कानूनन निर्धारित विधिक प्रकिया का दुरूपयोग करना साफ प्रकट होता है। विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय आदेश दिनांकित 14.02.2020 में प्राथमिक डिक्री जारी करने के साथ तीन निम्न शर्ते 1. यदि पक्षकारान ने आपस में बाहमी बंटवारा कर अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे है तो मौका एवं रिकार्ड के अनुसार प्रस्ताव भिजवावें। 2. पक्षकारान की आपसी सहमति से बंटवारा के प्रस्ताव तैयार कर भिजवावें। 3. यदि उपरोक्त बिन्दु संख्या 01 व 02 के अनुसार पक्षकारान के बीच बंटवारा किया जाना सम्भव नही है, तो उपरोक्त वर्णित आराजीयात का रिकार्ड एवं मौके के अनुसार पक्षकारान के बीच अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी भूमि का बंटवारा विधिवत " बाई मिट्स एण्ड

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

बाउण्डस" कर प्रस्ताव तैयार कर नक्शा ट्रेस में प्रस्तावित बट्टा नम्बर डालकर प्रस्ताव भिजवावें। बंटवारा प्रस्ताव करने से पूर्व सुनवाई हेतु पक्षकारान को नोटिस देकर सुचित करें, अधिरोपित की थी, उक्त तीन शर्तो का पालन कही भी बंटवारा प्रस्ताव बनाते समय नहीं किया गया है, इस वजह से उक्त प्राथमिक डिक्री व निर्णय दिनांकित 14.02.2020 खारिज किये जाने योग्य है। विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांकित 14.02.2020 में प्राथमिक डिक्री जारी करते समय एक शर्त अधिरोपित की थी कि बंटवारा प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व सुनवाई हेतु पक्षकारान को नोटिस देकर सूचित करे, परन्तु उक्त आदेश की पालना में कोई भी नोटिस खातेदार काश्तकारो को व अपीलार्थी को नहीं दिया गया। उक्त बंटवारा प्रस्ताव बनाने से पूर्व नोटिस दिया जाने का प्रावधान आज्ञापक है। परन्तु इसकी कोई पालना नही की गयी मात्र आई. एल.आर. रामपुरा पाटन द्वारा वादीगण से साज करके बंद कमरे में बैठकर उक्त बंटवारा प्रस्ताव तैयार किया। उक्त नोटिस देने के आज्ञापक प्रावधान की पालना नही होने के कारण उक्त निर्णय व डिक्री दिनांकित 14.02.2020 खारिज किये जाने योग्य है। उक्त निर्णय व डिक्री के आदेश में बंटवारा प्रस्ताव बनाने से काफी समय पूर्व दिनांक 17.02.2020 को प्रतिवादी संख्या 11 हनुमान की मृत्यु हो चुकी थी। कोई भी बंटवारा प्रस्ताव मृत व्यक्ति के नाम से नही बनाया जा सकता। मृत व्यक्ति के उत्तराधिकारियों को संयोजित किया जाना आवश्यक है। राजस्थान काश्तकारी नियम 1955 के नियम 18 से 21के अनुसार स्वंय तहसीलदार को मौके पर जाकर तथा पक्षकारो को सूचित कर ही बंटवारा प्रस्ताव तैयार किये जाने चाहिए, परन्तु हस्तगत प्रकरण में उक्त बंटवारा प्रस्ताव मात्र आई.एल.आर. रायपुर पाटन द्वारा मनमर्जी से तैयार कर उप तहसीलदार पाटन को भेजना साफ जाहिर हो रहा है। वर्तमान में कोरोना महामारी चल रही है, अपीलार्थी वृद्व होने की वजह से कोरोना बाबत सरकारी गाईड लाईन की पालना करने की वजह से अपने घर पर ही रहता है। उक्त पत्रावली की नकल हेतु दिनांक 03.12.2020 को आवेदन प्रस्तुत किया जिसकी कुछ नक्ले दिनांक 04.12.2020 को तथा कुछ दिनांक 10.12.2020 को प्राप्त

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

हुई। दिनांक 10.12.2020 को नकले मिलने व जानकारी होने से अपील सावधि अन्दर मियाद प्रस्तुत है। उकत देरी को कन्डोन करवाने हेतु अलग से आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है। उक्त विलम्ब को कन्डोन किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार किया जाना प्रार्थनीय है। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में राजस्व मण्डल का दिनांक 05.10.2020 का सरकूलर, कैलाश व अन्य बनाम रमेश व अन्य 2017 (1) आर.आर.टी. पेज 689 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया है कि प्रस्तुत अपीले प्रतिवादी संख्या 1 रामेश्वर पुत्र भूरा की और से प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय में आदेशिका दिनांक 30.05.2016 में स्पष्ट अंकन है कि प्रतिवादी संख्या 1 की और से श्री कुंज बिहारी शर्मा वकील ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। इसी प्रकार आदेश दिनांक 14.02.2020 की आदेशिका में अंकन है कि वकील प्रतिवादी संख्या 1 उपस्थित है। इसके अतिरिक्त अन्तिम डिक्री के आदेश दिनांक 07.10.2020 की आदेशिका में भी प्रतिवादी संख्या 01 की उपस्थिति का अंकन है। स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में अपीलांट जरिये वकील उपस्थित रहा है। अपीलांट ने विचारण न्यायालय के समक्ष किसी प्रकार का ऐतराज प्रस्तुत नही किया है। अपीलांट को विचाराधीन दोनों निर्णयों की प्रारम्भ से जानकारी है। अपीलांट की अपील मियाद बाहर होने से खारिज किये जाने योग्य है। विचारण न्यायालय ने सम्यक प्रकिया अनुसार विधि सम्मत रूप से विचाराधीन निर्णय पारित किये है। इसमे कोई विधिक त्रुटि नही है। अपील सारहीन है खारिज की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर.एल.डब्ल्यू 2017 (1) पोज 478, आर.आर.डी. 2018 पेज 675, आर.आर.डी. 1992 पेज 458, आर.आर.डी. 1986 पेज 10, आर.आर.डी. 1990 पेज 386 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। विधि का सुस्थापित सिद्वान्त है कि कोई भी दावा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय में पेश होने के उपरान्त उक्त दावे का जवाब दावा, विवाधक, साक्ष्य, बहस अन्तिम सुनकर ही निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित की जा सकती है, परन्तु हस्तगत प्रकरण में अदालत मातहत ने उक्त विधिक प्रकिया का कोई पालन नहीं किया है।

पत्रावली का अवलोकन करने मात्र से अदालत मातहत द्वारा कानूनन निर्धारित विधिक प्रकिया का पालन नही करना साफ प्रकट होता है। विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय आदेश दिनांकित 14.02.2020 में प्राथमिक डिक्री जारी करने के साथ तीन निम्न शर्ते 1 यदि पक्षकारान ने आपस में बाहमी बंटवारा कर अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे है तो मौका एवं रिकार्ड के अनुसार प्रस्ताव भिजवावें। 2 पक्षकारान की आपसी सहमति से बंटवारा के प्रस्ताव तैयार कर भिजवावें। 3 यदि उपरोक्त बिन्दु संख्या 01 व 02 के अनुसार पक्षकारान के बीच बंटवारा किया जाना सम्भव नही है, तो उपरोक्त वर्णित आराजीयात का रिकार्ड एवं मौके के अनुसार पक्षकारान के बीच अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी भूमि का बंटवारा विधिवत " बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस" कर प्रस्ताव तैयार कर नक्शा ट्रेस में प्रस्तावित बट्टा नम्बर डालकर प्रस्ताव भिजवावें, के निर्देश दिये है एवं बंटवारा प्रस्ताव करने से पूर्व सुनवाई हेतु पक्षकारान को नोटिस देकर सुचित करें, के निर्देश दिये है किन्तु उक्त तीन शर्तो का पालन कही भी बंटवारा प्रस्ताव बनाते समय नहीं किया गया है, इस वजह से उक्त प्राथमिक डिक्री व निर्णय दिनांकित 14.02.2020 खारिज किये जाने योग्य है। विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांकित 14.02.2020 में प्राथमिक डिक्री जारी करते समय एक शर्त अधिरोपित की थी कि बंटवारा प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व सुनवाई हेतु पक्षकारान को नोटिस देकर सूचित करे, परन्तु उक्त आदेश की पालना में कोई भी नोटिस खातेदार काश्तकारो को व अपीलार्थी को नहीं दिया गया। उक्त बंटवारा प्रस्ताव बनाने से पूर्व नोटिस दिया जाने का प्रावधान आज्ञापक है। उक्त नोटिस देने के आज्ञापक प्रावधान की पालना नही होने के कारण उक्त निर्णय व डिक्री दिनांकित 14.02.2020 खारिज किये जाने योग्य है। उक्त निर्णय व डिक्री के आदेश में बंटवारा प्रस्ताव बनाने से काफी समय पूर्व दिनांक 17.02.2020 को प्रतिवादी संख्या 11 हनुमान की मृत्यु हो चुकी थी। कोई भी बंटवारा प्रस्ताव मृत व्यक्ति के नाम से नही बनाया जा सकता। मृत

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

व्यक्ति के उत्तराधिकारियों को संयोजित किया जाना आवश्यक है। राजस्थान काश्तकारी नियम 1955 के नियम 18 से 21के अनुसार स्वंय तहसीलदार को मौके पर जाकर तथा पक्षकारो को सूचित कर ही बंटवारा प्रस्ताव तैयार किये जाने चाहिए, परन्तु हस्तगत प्रकरण में उक्त बंटवारा प्रस्ताव आई.एल.आर. रायपुर पाटन द्वारा तैयार कर उप तहसीलदार पाटन को भेजना साफ जाहिर हो रहा है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधिक प्रकिया अनुसार नही माने जा सकते है।

प्रकरण के गुणावगुण के उपरोक्त विवेचन एवं न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुये अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कन्डोन किया जाता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन प्राथमिक एवं अन्तिम निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट से जवाब दावा प्राप्त कर तनकीयात कायम कर उभयपक्ष के साक्ष्य लेकर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.09.2021 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 16.08.21 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर